फा.सं.3.9(32)/2021-एससीयू
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस,शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110069

दिनांक :05/05/2022

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

संघ लोक सेवा आयोग कार्यालयका, संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली से 10-12 कि.मी. के क्षेत्र के भीतर अवस्थित, पात्र डी.एल.वाई. टैक्सी/ मिनी बस प्रदान करने वालेके साथ संविदा करने काप्रस्ताव है।

2. तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग को एसी/नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियां / मिनी बस की आपूर्ति के लिए ऑन-लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। **संघ लोक सेवा आयोग में आवश्यकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित पांच श्रेणियों के अंतर्गतआती है:-**

(i) प्रतिदिन 3 से 6 वाहनों की दैनिक आवश्यकता।

(ii) परीक्षा और अन्य दिनों में विशेष बल्कआवश्यकताएं,जहां वास्तविक आवश्यकता के अनुरुप 200 वाहन तक किराए पर लिए जा सकते हैं।

(iii) आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के उपयोग के लिए अच्छी किस्म के हैचबैक, काम्पैक्ट सिडान, सिडान, एमपीवी (बहुउद्देशीय वाहन), एसयूवी (स्पोर्ट्स युटिलिटी वाहन) वाहन जैसे कि वैगन आर, / स्वीफ्ट / होन्डा अमेज़/ सियाज/ एरटिगा/ स्कोर्पियो/ इनोवा/ इनोवा क्रिस्टा, आदि की दैनिक आवश्यकता है। ऐसे वाहन बहुत ही साफ-सुथरी स्थिति में और 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

(iv) आयोग द्वारा विदेशी प्रतिनिधि मंडलों की व्यवस्था के लिए अन्य वाहनों जैसे टोयोटा अल्टिस, होन्डा सिविक आदि की विशेष आवश्यकता।

(v) 15-20 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली मिनी बस। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश देने के लिए यह आवश्यकता वैकिल्पक है परन्तु बोलीदाता द्वारा दरें उद्धृत करना अनिवार्य है।

3.समय-समय पर आवश्यकताओं में परिवर्तन हो सकता है और वाहन की जरुरत शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश के दिनों में भी हो सकती है जो कि वास्तविक अवश्यकताओं पर निर्भर करता है। बोलियां उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लिए प्रस्तुत की जा सकती हैं। तथापि, बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ की सभी निबंधन एवं शर्तों को पूरा करना होगा।

निविदा दस्तावेज़ सं.लो.से.आ. की वेबसाइट www.upsc.gov.inऔर सीपीपी साइट https://eprocure.gov.in/e-procure/app से डाउनलोड की जा सकती है जिनकी समय सीमा क्रिटिकल डेट शीट में दी गई है जो निम्नानुसार है :-

क्रिटिकल डेट शीट

प्रकाशित किए जाने की तारीख	05.05.2022
बोली दस्तावेज़ को डाउनलोड करने की तिथि	05.05.2022
बोली के प्रस्तुतीकरण के शुरू होने की तिथि	05.05.2022
बोली के प्रस्तुतीकरण की समाप्ति की तिथि	30.05.2022 को 15.00 बजे
बोली को खोलने की तिथि	31.05.2022 को 15.30 बजे

3.1 बोलियां केवल सीपीपीपीकी वेवसाइटः https://eprocure.gov.in/e-procure/app पर प्रस्तुत की जा सकती है। प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठ, दस्तावेज़ों के विषयवस्तु की प्रकृति से असंबद्ध रहते हुए दस्तावेज़ों को डाउनलोड किए जाने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर तथा क्रमित रूप से संख्या दी जानी चाहिए। वेबसाइट पर एकल भाग या फोल्डर में अपलोड की गई बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.2 निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि ई-प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल पर “https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ऑन-लाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/ संविदाकर्ता को अनुदेश'' में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

फैक्स / ई-मेल तथा अन्य तरीकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

<u>नोट:-</u>

यदि इस कार्यालय के लिए बोली जमा करने की विशिष्ट तारीख किसी घोषित अवकाश या उसके बाद बंद रहने का दिन आता है तो इस कार्यालय के अगले कार्यदिवस को बोली नियत समय अर्थात् 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन 3.30 बजे खोली जाएगी।

4. <u>दो बोली प्रणाली:</u>

(क) <u>तकनीकीबोली:</u>

बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियों सहित अनुबंध-II में दिए गए जांच सूची में वर्णित दस्तावेज़ों की स्कैन्ड प्रतियां विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर की गई हो, प्रस्तुत करनी चाहिए।

4.1 विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात्2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान बोलीदाता का वार्षिक कारोबार 100 लाख रू. प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। वार्षिक कारोबार के विवरण को दर्शाने वाली चार्टरित लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.2 उपर्युक्त विवरण के अलावा बोलीदाता को फर्म के वार्षिक कारोबार के प्रमाण के रूप में विगत तीन वर्षों अर्थात2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक खाते की प्रतियां जो विधिवत रूप से चार्टरित लेखाकार से प्रमाणित की गई हो, प्रस्तुत करनी होगी।

4.3 बोलीदाता को विगत तीन वर्षों अर्थात 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की आयकर विवरणी की प्रतियां प्रस्तुत करनीहोगी।

4.4 बोलीदाता के पास कम से 60 डी.एल.वाई. टैक्सियां होनी चाहिए जिसमें से 30 एसी तथा 30 नॉन-एसी डीएलवाई टैक्सियां अर्थात **<u>वैगन आर / स्विफ्ट / आई 10/ स्विफ्ट डिजायर/ हुन्डई एक्सेंट/ होन्डा अमेज़/ सियाज़/ होन्डा सिटी / हुन्डई वर्ना/ एरटिगा/ स्कॉर्पियो/ डस्टर/ इनोवा/ इनोवा क्रिस्टा/ टोयोटा अल्टिस/ होन्डा सिविक आदि</u>**<u>या समकक्ष होनी चाहिए</u> जो 2017 मॉडल से पुरानी न हो। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किराए पर लिए गए अन्य वाहन तथा वाहन, 2019 से पुराने मॉडल के

न हों।60 डीएलवाई टैक्सियों के स्वामित्व के समर्थन में बोलीदाता वाहन के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेंगे।**पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां साफ-साफ एवं पढ़ने योग्य होनी चाहिए।** इसके अतिरिक्त एक अलग शीट पर बोली में वाहनों की सूची उनकी पंजीकरण सं., बनावट तथा मॉडल एवं उनमें वाहनों की एसी स्थिति को निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए। **इन 60 वाहनों में से 10 सियाज / होन्डा सिटी/ हुन्डैई वर्ना या समकक्ष वाहन 2019 से पहले के मॉडल के नहीं होने चाहिए।**

4.5 सं.लो.से.आ. को 15-20 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली एसी मिनी बस की आवश्यकता हो सकती है और बोलीदाताओं को उनके अपने वाहनों के विवरण को भी प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे वाहन का स्वामित्व न होने की स्थिति में बोलीदाता आयोग को आवश्यकता पड़ने पर एसी मिनी बस की व्यवस्था करने का परिवचन प्रस्तुत करेगा। इस अपेक्षा के लिए दरें उद्धृत करना बोलीदाता के लिए अनिवार्य है लेकिन सं.लो.से.आ. द्वारा किराए पर लेने के लिए विकल्प है।

4.6 बोलीदाता के पास विगत में सरकारी / अर्द्ध-सरकारी / स्वायत्त संगठन / विभागों को वाहन की सेवाएं प्रदान करने का 4 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में 4 वर्षों में से प्रत्येक के दौरान जारी आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की जानी है।

4.7 बोलीदाता के पास बोली प्रस्तुत करने की तारीख में कम से कम दो जारी/ चालू संविदा होनी चाहिए। प्रत्येक मामले में कार्य आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4.8 बोलीदाता को पैन कार्ड की प्रति तथा वस्तु एवं सेवाकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

4.9 इस आशय का प्रमाण-पत्र जिसमें यह वर्णित हो कि एसी / नॉन-एसी वाहन जो प्रदान किया जाएगा वह विद्यमानयूरो / भारत स्टेजमानक के होंगे यासमय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लागू कोई अन्य मानक के अनुसार होंगे।

4.10 इस आशय का एक प्रमाण-पत्र बोलीदाता से लिया जाए कि अधियाचना पर कार्य पर नियुक्त किए जाने वाले वाहन चालक को दिल्ली की सड़कों का पूरी तरह से अनुभव है।

4.11 बोलीदाता से एक प्रमाण-पत्र लिया जाए जिसमें यह वर्णित हो कि उन्हें सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं,***इसेअनुबंध-III में संलग्न प्रारूप में बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।***

4.12 बोलीदाता कृपया नोट करें कि उन्हें उनकी वित्तीय बोली में सभी श्रेणी के वाहनों अर्थात अनुबंघ-1क से अनुबंध-1ढ की सभी 14 मूल्य अनुसूची की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वे बोलीदाता जो सभी मदों और या मूल्य अनुसूची की सभी तालिकाओं के लिए दरें उद्धृत नहीं करते है उन्हें गैर-जिम्मेदार माना जाएगा तथा उनकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ख) **<u>वित्तीय बोली:</u>** वित्तीय बोली दैनिक/ बड़े पैमाने पर /वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता के लिए अनुलग्नक-I-क [तालिका-1] से अनुलग्नक-I-ञ [तालिका-10]; अन्य वाहनों की विशेष आवश्यकता के लिए अनुलग्नक-I-ट [तालिका-11] से अनुलग्नक-I-ठ [तालिका-12] और मिनी बस के लिए अनुलग्नक-I-ड [तालिका-13] से अनुबंध-I-ढ [तालिका-14] के अनुसार बीओक्यू (.xls) प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।

4.13 तकनीकी बोली उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीख को 3.30 बजे अपराह्न में ऐसे बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधि जो इसमें उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में खोली जाएगी।

4.14 केवल उन बोलीदाता(बोलीदाताओं) की <u>वित्तीय बोली (बोलियां)</u> को अनुवर्ती तारीख में खोला जाएगाजिनकी बोलियाँ तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के पश्चात तकनीकी रूप से स्वीकार्य माना जाएगा।

4.15 काल्पनिक / सशर्त / अपूर्ण बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. **<u>देर से प्राप्त बोलियां</u>**-उपर्युक्त पैरा-3 में यथानिर्दिष्ट विशिष्ट तारीख एवं समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6. <u>धरोहर जमा राशि (ईएमडी)</u>

6.1 2,50,000रू (दो लाखपचास हजार रू. मात्र) की**मूल धरोहर जमा राशि की हार्ड प्रति**जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर/ मियादी जमा रसीदया बैक गारंटी के रूप में हो और जो सचिव, सं.लो.से.आ., नई दिल्ली-110069 के नाम से देय हो, को क्रिटकल डेट शीट में यथावर्णित बोली के खुलने की तिथि / समय पर या उससे पहले सं.लो.से.आ. को जमा की जानी चहिए।

6.2 बोलीदाता को धरोहर राशि जमा करना आवश्यक है। धरोहर राशि जमा किए के बिना बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.3 अंतिम निविदा वैधता अवधि से परे धरोहर जमा राशि 45 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

6.4 बोली की वैधता अवधि के भीतर यदि कोई बोलीदाता अपने बोली को वापस लेता है या उनमें, किसी भी प्रकार का संशोधन करता है तो बोलीदाता की जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि सफल बोलीदाता निर्दिष्टअवधि के भीतर अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति को जमा करने में असफल रहते हैं तो उसकी धरोहर जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

6.5 वित्तीय बोली खोलने के बाद, यदि बोलीदाता बहुत कम उद्धृत दर, यूपीएससी की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थता आदि जैसे कारणों का हवाला देते हुए निविदा के अग्रिम चरण में पीछे हट जाता है, तो बोलीदाता की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और सं.लो.से.आ. की निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।

6.6 संविदा को अंतिम रूप प्रदान करने के बाद, सभी असफल बोलीदाताओं की धरोहर जमा राशि को बिना किसी ब्याज के,चाहेजो भी हो, लौटा दी जाएगी। निष्पादन प्रतिभूति के प्राप्त होने के बाद सफल बोलीदाता(ओं) को धरोहर जमा राशि लौटा दी जाएगी।

7.कार्य निष्पादन प्रतिभूति

7.1 इस निविदा के लिए प्रस्तावित कुल कार्य निष्पादन प्रतिभूतिरु.16.00 लाख (केवल सोलह लाख रुपए) है। सफल बोलीदाताओं को, उनके पंजीकरण की स्थिति आदि पर ध्यान दिए बिना, उन्हें दिए गए वाहन की श्रेणी के आधार पर अपेक्षित कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी। कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि वाहनों की श्रेणी के आधार पर आनुपातिक आधार पर तय की जाएगी।उदाहरण के लिए, नि.आ.सू. में वाहनों के 7 श्रेणियां [14 तालिका] हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए 2 फर्मों जैसे कि एल-1 एवं एल-2 का चयन किया जाएगा। इसलिए सभी 14 तालिकाओं में एल-1 एवं एल-2 फर्मों का चुनाव किया जाएगा। यदि कोई फर्म, 6 श्रेणियों के संबंध में या तो एल-1 अथवा एल-2 फर्म के तौर पर चयनित होता है तो इस फर्म को इसी अनुपात में कार्य निष्पादन प्रतिभूति (6÷14)x16 = रु.6,85,714/- जमा करनी होगी। इसी प्रकार यदि कोई फर्म 4 श्रेणियों में एल-1या एल-2 है तो उसे(4÷14)x16=4,57,143/-रु. की कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा करनी होगी।सफल बोलीदाता को कार्य निष्पादन प्रतिभूति, निविदा प्रदान करने के 10 दिनों के भीतर स्वीकार्य प्रपत्र में सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय किसी वाणिज्यिक बैंक से आदाता के खाते में डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर/ बैंक गारंटी/ सावधि जमा रसीद के रूप में जमा करना होगा।

7.2 कार्य निष्पादन प्रतिभूति आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरे होने की तारीख से परे साठ दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

7.3 कार्य निष्पादन प्रतिभूति, संविदा के सभी प्रकार से विधिवत निष्पादित एवं पूरे होने के बाद आपूर्तिकर्ता को बिना किसी ब्याज के, चाहेजो भी हो, लौटा दी जाएगी।

7.4 यदि फर्म संविदा के किसी भी निबंधन एवं शर्तों को निष्पादित करने में असफल रहती है तो कार्य निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा, इसके अलावा उन्हें ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है।

7.5 बोलीदाता को अपनी बिना शर्त दरें अनुबंध-I के अनुसार स्पष्ट रूप से उद्‌धृत करनी चाहिए। कटिंग / ओवरराईटिंग, यदि कोई हो, को

प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत् रूप से मुहर लगाई जानी चाहिए तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

7.6 सभी बोलीदाताओं को अनुबंध-Iक से अनुबंध-I-ढ की मूल्य अनुसूची में मांगे गए सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए दरें उद्धृत करनी हैं अर्थात उन्हें दैनिक/बल्क/ वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता के लिए(तालिका 1से तालिका 10),अन्य वाहनों की विशेष आवश्यकता के लिए(तालिका 11 एवं 12), एवं मिनी बस (तालिका 13 एवं 14) की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत करनी हैं।

8. यदि कोई बोलीदाता केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय / विभाग को पहले से ही टैक्सियों की सेवाएं दे रहा है तो बोली के साथ कार्य आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9. **<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें</u>**

9.1 बोली, खोलने की तारीख से 180 दिनों के लिए वैध होगी।बोली की वैधता अवधि के भीतर निविदा प्रस्तुत करने के बाद किसी भी फर्म को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी अन्यथा फर्म द्वारा जमा की गई धरोहर जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

9.2 संविदा, संबंधित फर्म से कार्य निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। तथापि संविदा को एक और वर्ष के लिए उन्हीं दरों तथा निबंधन एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।

9.3 बोलीदाता नि.आ.सू. के निर्धारित प्रोफार्मा [अनुलग्नक-I-कसे अनुलग्नक-I-ढ] में वित्तीय बोली प्रस्तुत करेगा।एल-1 एवं एल-2 बोलीदाताओं का निर्णय उनके द्वारा प्रत्येक श्रेणी के वाहनों में पूरा दिन, 80 किमी एवं 10 घंटे नॉन-एसी वाहन के लिए उद्धृत दरों के आधार पर लिया जाएगा। उसके पश्चात एल-1 एवं एल-2 के दरों की तुलना की जाएगी तथा अंतिम दरें, एल-1 /एल-2 फर्म के द्वारा तालिका-1 से तालिका-14 में उल्लिखित सभी अन्य मदों के संबंध में उद्धृत न्यूनतम दर के आधार पर अनुमोदित की जाएंगी। एल-1 तथा एल-2 फर्म, उद्धृत एवं सक्षम

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एल-1 दरों पर डीएलवाई टैक्सियां प्रदान करने के लिए बाध्य है। एल-1/एल-2 के मूल्यांकन के सैम्पल का उल्लेख अनुबंध-1 में किया गया है।

9.3.1 भावी बोलीदाता कृपया नोट कर लें कि एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए इस कार्यालय द्वाराप्रत्येक एसी एवं नॉन-एसी डीएलवाई टैक्सियों के लिए दो टैक्सी आपरेटरों के पैनल एल-1 एवं एल-2 बनाए जाएंगे। एसी / नॉन-एसी टैक्सियां उस दर पर किराए पर ली जाएंगी जो एल-1 बोलीदाता के द्वारा यथाउद्धृत सबसे कम दर (एल-1दर) होगी तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होगी।यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि एल-2 बोलीदाता जिसका नाम पैनल में शामिल किया गया है, से एसी / नॉन-एसी टैक्सियां, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित एल-1 उद्धृत दर पर ली जाएगी। इसलिए बोलीदाता एकया अधिक श्रेणियों में अलग से एल-1 या एल-2 के रूप में आ सकता है।प्रत्येक श्रेणी के वाहनों में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी(अनुलग्नक-I-क से अनुलग्नक-I-ढ) [तालिका-1 से तालिका-14] के लिए अलग-अलगएल-1 और एल-2 वेंडर का निर्णय लिया जाएगा।बोलीदाता इस बात पर विशेष ध्यान दें कि एल-2 बोलीदाता कोएल-1अनुमोदितदरों पर ही वाहन उपलब्ध कराने होंगे। इस कार्यालय की 50% आवश्यकता पर एल-2 बोलीदाता से वाहन किराए पर लिए जाएंगे।

9.3.2 यदि अनुमोदित एल-1/एल-2 बोलीदाता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में विसंगतियां पाई जाती है तो अनुमोदित एल-1 दर पर भाग लेने वाले अन्य बोलीदाताओं से वाहन किराए पर लिए जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए बोलीदाताओं की पूर्व सहमति से संविदा में भाग ले रहे बोलीदाताओं का एक पैनल बनाया जाएगा।

9.4<u>जोखिम किराया खंड</u>:- यदि एल-1 एवं एल-2 बोलीदाता वाहनों की अपेक्षित संख्या की आपूर्ति करने में असफल रहते हैं तो यह कार्यालय एल-1 एवं एल-2 बोलीदाता के जोखिम एवं लागत पर अन्य टैक्सी स्टैंड से डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वैकल्पिक व्यवस्था और एल-1 की निविदा मूल्य के बीच लागत के अंतर को एल-1/ एल-2 बोलीदाता के लंबित बिल/ कार्य निष्पादन प्रतिभूति से वसूला जाएगा। यदि सं.लो.से.आ. को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बाध्य किया जाता है तथा यदि कीमत कम हो तो इसके लिए कोई भी लाभ एल-1/ एल-2 बोलीदाता को नहीं दिया जाएगा।

9.5 इस कार्यालय की एक टीम उनकी उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए बोलीदाताओं के परिसर का दौरा करेगी और डी.एल.वाई. टैक्सी की आपूर्ति के लिए बोलीदाता की उपयुक्तता के संबंध में रिपोर्ट सं.लो.से.आ. को प्रस्तुत करेगी। समिति के निर्णय को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो तकनीकी रूप से अर्हक बोलीदाताओं का निर्णय करेगा।

9.6 यदि संविदाकर्ता बोली प्रस्तुत करने एवं उक्त को विधिवत स्वीकार करने अर्थात् संविदा प्रदान किए जाने के बाद इन निविदा दस्तावेज़ों के निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन करने में असफल रहते हैं या अपनी संविदा अवधि को पूरा करने में असफल रहते हैं या संविदा को किसी भी समय परित्याग कर देते हैं, सं.लो.से.आ. को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर जमा राशि को जब्त कर ले या कार्य निष्पादन प्रतिभूति, यदि बोलीदाता द्वारा जमा की गई, को भुना ले।

9.7 प्रदान किए गए वाहन टैक्सी के रूप में उपयोग करने हेतु प्राधिकृत होने चाहिए तथा यात्रा किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए पर्याप्त अनुमति होनी चाहिए।

9.8 संविदाकर्ता को अल्प सूचना पर/ (45 मिनट के भीतर) टैक्सियां प्रदान करने के लिए सक्षम होना चाहिए। नियमित मांग के लिए टैक्सी को 30 मिनटपहले ही निर्धारित स्थल पर पहुंचना होगा।

9.9 टैक्सी के ड्राइवर के पास टैक्सी चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो यातायात प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र जैसे रोड टैक्स क्लीयरेंस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, व्यावसायिक प्रमाण-पत्र आदि सभी उद्धृत किए गए वाहनों के साथ होना चाहिए।

9.10 वाहन पूरी तरह से बीमांकित होना चाहिए और उसके लिए राज्य परिवहन विभाग/ प्राधिकरण से जारी आवश्यक अनुज्ञापत्र (परमिट) होना चाहिए।

9.11 नियुक्त किए गए ड्राईवर को दिल्ली / नई दिल्ली के प्रमुख मार्गों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए।

9.12 **शास्ति खंड** :संविदाकर्ता को नियमित आधार पर किराए के वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा जिन्हें प्रयोक्ता द्वारा मासिक / दैनिक आधार पर किराए पर लिया जाएगा, ऐसा न होने पर रूपये 1000/- प्रतिदिन, प्रति वाहन शास्ति लगाई जाएगी। यदि बार-बार शिकायत आती है तोदूसरी शिकायत आने पर 10 गुणा अर्थात 2000/-, तीसरी शिकायत पर 3000/- और इस प्रकार 10 शिकायतों तक बढ़ाईजाएगी। यदि शिकायत 10 दिन से अधिक होती है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। प्रतिभूति जमा / कार्य निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और बैंक गारंटी को भुना लिया जाएगा। प्रयोक्ता के पास निविदाकर्ता के जोखिम और लागत पर किराए के वाहनों की सेवा के लिए किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

9.13 ड्यूटी पर लगाए गए वाहन साफ-सुथरी अवस्था में हों। उपलब्ध कराए गए वाहनों की सामान्य दशा अच्छी होनी चाहिए। सीटें आरामदायक तथा पैर रखने का पर्याप्त स्थान होना चाहिए। सीटें हमेशा साफ-सुथरी एवं अच्छे किस्म के सीट कवर से ढंकीहोनी चाहिए। यदि वाहन गंदी या जर्जर अवस्था में पाया जाता है तो रु.1000/- प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी। शिकायतों की पुनरावृत्ति होने पर दूसरी शिकायत पर 10 गुणा अर्थात रु.2000/-, तीसरी बार रु.3000/- और इस प्रकार 10 शिकायतों तक बढ़ाई जाएगी। यदि शिकायत 10 बार से अधिक होती है तो संविदा समाप्त की जा सकती है।

9.14 वाहन के खराब होने की स्थिति में तत्काल एक घंटे के भीतर उसके स्थान पर अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा। उचित वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में रु.200/- प्रति घंटे की दर से शास्ति लगाई जाएगी जो एक दिन के लिए रु.1000/- से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा संविदाकर्ता द्वारा वाहन के खराब होने पर एक घंटे के भीतर वैकल्पिक

वाहन उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में यदि प्रयोगकर्ता को अन्य वाहन किराए पर लेना पड़ता है तो संविदाकर्ता को उक्त वाहन का पूरा किराया वहन करना होगा।

9.15 अतिरिक्त घंटों के दौरान वाहन उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रत्येक मौके के लिए रु.1000/- की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

9.16 ड्राइवर को परिवहन विभाग के नियमानुसार / साफ-सुथरी गहरी नीली वर्दी में और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ड्राइवर के पास मोबाइल फोन होना चाहिए। यदि ड्राइवर उचित वर्दी याबिना मोबाईल फोन के ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है तो फर्म पर प्रत्येक चूक के लिए ₹500/-(पांच सौ रूपए मात्र) की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

9.17 किसी अधिकारी के साथ लगाई गई कार और ड्राइवर को प्रयोक्ता अधिकारी की पूर्व सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने प्रत्येक घटना के लिए रूपये 1000/- की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

जब भी और जहां भी यह पाया जाता है कि सौंपा गया कार्य प्रयोक्ता की संपूर्ण संतुष्टि तक पूरा नहीं किया गया है तो शास्ति खंड को लागू करते हुए 1000/- रूपये प्रतिदिन प्रति शिकायत की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

9.18 बिलिंग, कार्यालय परिसर से शुरू होगा न कि टैक्सी स्टैंड से। शुरूआती और अंतिम किलोमीटर सं.लो.से.आ. से लिया जाएगा। मांग होने पर सभी वाहन सबसे पहले मोटर यातायात पर्यवेक्षक, सं.लो.से.आ. को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करेंगे, जहां पर रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश दिनों को छोड़कर सभी दिनों में मीटर की रीडिंग दर्ज की जाएगी और उसके पश्चात गन्तव्य स्थान को जाएगी। रविवार तथा अन्य राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में गाड़ी सीधे पदनामित व्यक्ति को रिपोर्ट करेगी जहां मीटर रीडिंग प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं नोट की जाएगी।

9.19 **कभी-कभी सं.लो.से.आ. को विशेष दिनों में भारी संख्या में डी.एल.वाई. वाहनों (अर्थात 200 वाहन तक) की आवश्यकता होती है। संविदाकर्ता, स्वयं अपनी ओर से डी.एल.वाई. टैक्सियों के अन्य संचालकों से संपर्क**

करके अतिरिक्त मांग की आपूर्ति करने के प्रति उत्तरदायी होंगे और ऐसे अतिरिक्त वाहन संविदा की दरों तथा शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराने होंगे। सामान्यत: सं.लो.से.आ. को प्रतिदिन 3-6 डी.एल.वाई. वाहन तथा एक एसी मिनी-बस जिसके बैठने की क्षमता 15-20 व्यक्तियों की हो, किसी भी दिन किराए पर ली जा सकती है जो उनकी वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

9.20 संविदा की अवधि के लिए दरें एक समान रहेंगी। संविदा की अवधि के दौरान डी.एल.वाई. टैक्सी की आपूर्ति की अनुमोदित दरों में किसी भी परिस्थितिमें जैसे: बाजार में ईंधन की कीमतों में वृद्धि, या कोई अन्य कारण जो भी हो, किसी भी प्रकार की वृद्धि का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.21 यदि किसी भी अवसर पर यह पाया जाता है कि किसी वाहन का ड्राइवर कार्य/यात्रा के शुरू होने या समाप्ति के समय तथा किलोमीटर रीडिंग संबंधी डयूटी स्लिप में गलत प्रविष्टियां करता है तो टैक्सी स्टैंड इन सब के लिए उत्तरदायी होगा। यह कार्यालय ऐसे वाहन के संबंध में उस दिन का भुगतान रोकने का अधिकार रखता है।

9.22 सचिव, सं.लो.से.आ. का निर्णय नि.आ.सू. में किए गए विभिन्न प्रावधानों के आधार पर निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

9.23 बिल तथा ड्यूटी पर्ची आदि प्रस्तुत करने के पश्चात तथा संतोषजनक सेवा को ध्यान में रखते हुए तथा नि.आ.सू. में यथानिर्दिष्ट प्रावधानों को पूरा करते हुए मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

9.24 आयोग के पास संविदाकर्त्ता को बिना कोई कारण बताए इस आशय का एक माह का नोटिस देकर संविदा को सामाप्त करने का अधिकार होगा।

9.25 संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राईवर हमेशा अनुशासितउचित वर्दी पहने हुए तथा ड्यूटी के दौरान पूरे समय उपस्थितरहे। संविदाकर्ता द्वारा तैनात व्यक्ति उचित रूप से प्रशिक्षित हो, अपेक्षित अनुभव रखता हो और कार्य को करने में कुशल हो।

9.26 संविदाकर्ता ड्राईवरों को वर्ष में दो बार गर्मी तथा सर्दियों की वर्दी के दो-दो जोड़े अपनी लागत पर उपलबध कराएगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ड्यूटी के दौरान वर्दी पहने। प्रत्येक वर्ष, गर्मियों की वर्दी अप्रैल में तथा सर्दियों की वर्दी अक्टूबर माह में उपलब्ध करनी होगी।

9.27 ड्राईवरों को नियुक्त करनेऔर उन्हें रोजगार देने तथा विभिन्न श्रम कानून एवं विनियमावली के मौजुदा प्रावधानों के अनुसार उनके वेतन भुगतान कीपूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी और इस प्रकार के कानूनों अथवा नियमों के उल्लंघन को इस संविदा की शर्तों के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

9.28 संविदाकर्ता को किराए पर दिए गए वाहनों को चलाने के लिए केवल योग्यताप्राप्त अनुभवी लाइसेंसधारी ड्राइवरों को नियुक्त करना होगा और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करने के द्वारा वाहन चलाते समय अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा आवश्यक स्टोर सामग्रियों के बचाव एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इस प्रकार की लापरवाही जल्दबाजी एवं तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना जो भा.दं.सं. (आईपीसी) की धारा 29 के तहत एक अपराध है, के कारण होने वाले नुकसान के लिए उपभोक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होगा और उपभोक्ता को इस कारण से होने वाली क्षति के लिए संविदाकर्ता जिम्मेदार होगा।

9.29 संविदाकर्ता द्वारा पदनामित परिवहन अधिकारी से मीटर की नियमित जांच करानाअपेक्षित है और उपभोक्ता को प्रत्येक तिमाही अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.30 संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध कराई गई कारें एकदम सही स्थिति में है। इसमें इत्र (परफ्यूम)की व्यवस्था होनी चाहिए तथा अग्निशमन उपकरण विधिवत रूप से लगा होना चाहिए। इन अनुदेशों का अनुपालन नहींहोने की स्थिति में संविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों से 50/- रू. प्रतिदिन की दर से कटौती कर ली जाएगी।

9.31 संविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हों, वे व्यवहारकुशल,उचित रूप से शिक्षित और

यातायात के नियमों / विनियमों, शहर की सड़कों / रास्तों तथा सुरक्षा अनुदेशों से भली भांति परिचित हैं।

9.32 संपर्क तथा 24X7 बुकिंग लेने हेतु संविदाकर्ता के पास पर्याप्त टेलीफोन सेवाएं होनी चाहिए।

9.33 संविदाकर्ता अपने ड्राईवरों को डयूटी के दौरान व्यक्तिगत दुर्घटना तथा मृत्यु की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा और इस संदर्भ में उपभोक्ता का कोई दायित्व तथा जिम्मेदारी नहीं होगी। उपभोक्ता किराए पर लिए गए वाहन को पंहुची गई किसी हानि / क्षति या किराए के वाहन का प्रयोग करते हुए किसी की मृत्यु / या किसी व्यक्ति को पहुंची चोट या किसी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। संविदाकर्ता इन सब की मुकदमेबाजी के लिए उत्तरदायी होगा।

9.34 संविदाकर्ता का ड्राईवर उपभोक्ता का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और वे संविदा के अंतर्गत अपनी डयूटी/ कार्य के लिए किसी प्रकार का वेतन तथा भत्ते, मुआवजे, नुकसान, या उनके रोजगार / ड्युटी से उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज का दावा नहीं करेंगे। इस अनुबंध के अंतर्गत संविदाकर्ता को उन्हें ये सभी बातें लिखित में देनी होगी।

9.35 संविदाकर्ता को अपनी लागत पर सभी संविधिक या अन्य लाभ अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराने होंगे और उपभोक्ता इस मामले में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। संविदाकर्ता श्रम कानूनों, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि विधियों, ई.एस.आई.सी. कानूनों, आयकर विधियों तथा न्यूनतम मजदूरी कानून, संविदा श्रमिक (विनियमावली उन्मूलन अधिनियम) या अन्य लागू नियम के पालन के लिए बाध्य होगा।

9.36 **<u>मध्यस्थता</u>**

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो इस संविदा के निष्कर्ष, अर्थ तथा प्रचालन या प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो, तो ऐसे में विवाद का निपटान

मध्यस्थमऔर सुलह अधिनियम 1996 के उपबन्धों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा।

9.37 क्षेत्राधिकार

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी भी अधिकार का हनन करती हो,दिल्ली में दायर की जाएगी और उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी। और दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे।

9.38 परिसमापन क्षतियां/ शास्तियां:-

वेंडर को निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसरण में कार्य क्षेत्र के अनुसार अनिवार्य रूप से कार्य निष्पादित करना होगा, जिसमें विफल होने पर यूपीएससी बिना किसी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना वेंडर से नुकसान के रूप में हुई किसी भी राशि की वसूली कर सकता है, जैसा कि इस कार्यालय द्वारा परिसमाप्त क्षति के रूप में निर्धारित/मूल्यांकन किया गया है और न कि कुल अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन आपूर्ति में देरी के लिए 1% प्रति दिन की दर से अलग से जुर्माना लगाया जाए।यदि किसी भी पक्ष (अप्रत्याशित घटना) के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से कोई नुकसान या देरी हुई है, तो सचिव, सं.लो.से.आ. के पास इस तरह के नुकसान या दंड को उचित समझे जाने पर अपने विवेकसे माफ करने का एकमात्र अधिकार होगा।वेंडर लिखित रूप में विलंब या इस हानि की घटना की तारीख से 10दिनों के भीतर उन कारणों की व्याख्या करेगा, जिनके कारण ऐसा

विलंब या नुकसान हुआ है। 10 दस सप्ताह से अधिक की देरी के लिए, सं.लो.से.आ. को किसी अन्य एजेंसी से काम करवाने और वेंडर की कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त करने और सचिव, सं.लो.से.आ. के पास उचित समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

9.39 दो वर्षों के लिए निविदा का कुल मूल्य लगभग 220 लाख रुपए है।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव(सामान्य)
संघ लोक सेवा आयोग

(अनिल कुमार)
अवर सचिव(सामान्य)
संघ लोक सेवा आयोग

<u>निविदा प्रपत्र</u>

<u>डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए निविदा</u>

दिनांक :

सेवा में

श्री अनिल कुमार,
अवर सचिव (सामान्य),
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-69.

संदर्भ: दिनांक ....का आपका निविदा संबंधी पूछताछ दस्तावेज़ सं. ....

हम, अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त निविदासंबंधी पूछताछ दस्तावेज़ की जांच की है और प्रत्येक मद का नमूना देखा है। अब हम विनिर्दिष्ट प्रारूप में संलग्न तकनीकी बोली में विनिर्दिष्टियों के समनुरूप अपेक्षितसामग्रियों/सेवाओं की आपूर्ति और सुपुर्दगी करने का प्रस्ताव करते हैं। विहित प्रारूप में हमारी तकनीकी बोली के साथ वित्तीय बोली (अलग सीलबंद कवर में) इसके साथ संलग्न की जाती है और जो इस निविदा का भाग है। धरोहर जमा राशि / बोली प्रतिभूति के रूप में .... (बैंक का नाम) से आहरित ....रू. (मात्र..रू.) की राशि का दिनांक .... का पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट / मियादी जमा रसीद सं. .... इसके साथ संलग्न की जाती है। निविदा जांच दस्तावेज़ के अनुसार अपेक्षित अन्य दस्तावेज़ / कागज़ात भी इसके साथ संलग्न हैं।

2. यदि हमारी बोली स्वीकारकर ली जाती है तो हम उपर्युक्त निविदा संबंधी पूछताछ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार वित्तीय बोली में उद्धृत दर पर तकनीकी बोली में यथाउल्लिखित सामान की आपूर्ति करने का वचन देते हैं।

3. हम यह भी पुष्टि करते हैं कि यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम निविदाजांच की शर्तों में स्वीकार्य रूप में अपेक्षित राशि की कार्य निष्पादन प्रतिभूति आपको उपलब्ध करेंगे।

4. हम हमारी बोली को कार्य निष्पादन प्रतिभूति के भुगतान की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए और यदि संविदा को उन्हीं निबंधन और शर्तों पर 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है तो इसे स्वीकृति के लिए वैध रहने पर सहमत हैं। तदनुसार हम उपर्युक्त अवधि तक इस बोली का पालन करने की पुष्टि करते हैं तथा यह बोली उपर्युक्त अवधि के समाप्ति से पहले कभी भी स्वीकार की जा सकती है।हम यह भी पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त अवधि के भीतर आपकी लिखित स्वीकृति के साथ पठित यह बोली हमारे बीच बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी।

5. हम आगे यह समझते है कि आप अपनी ऊपर संदर्भित निविदा जांच के लिए प्राप्त न्यूनतम या किसी भी बोलीको स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

6. हम उपर्युक्त निविदा संबंधी पूछताछ के सभी निबंधनों और शर्तों को स्वीकार करते हैं।

....

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

....

(नाम और पदनाम)

.... के लिए और की ओर से निविदा पर

हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत

....

(फर्म की कार्यालयी मुहर)

टिप्पणी: फर्म की कार्यालयी मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर इस प्रारूप के प्रत्येक पृष्ठ पर किए जाने हैं।

अनुबंध-I

नमुना

3 फर्मों द्वारा उद्धृत की गई दरों का सारणीबध्द विवरण

क्र.सं.	विवरण	**फर्म क एल-1**		**फर्म ख एल-2**		**फर्म ग**		**एल-1/एल-2 फर्म का मूल्यांकन करने के पश्चात् प्राप्त एल-1 दरें**	
		दिल्ली राज्य/ रा.रा.क्षे.		दिल्ली राज्य/ रा.रा.क्षे.		दिल्ली राज्य/ रा.रा.क्षे.		दिल्ली राज्य/ रा.रा.क्षे.	
		एसी	**नॉन-एसी**	**एसी**	**नॉन-एसी**	**एसी**	**नॉन-एसी**	**एसी**	**नॉन-एसी**
1.	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	1050	950	1100	1000	1150	1100	**1050**	**950**
2.	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	525	500	550	500	600	550	**525**	**500**
3.	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	11	10	10.50	9.50	11.50	11	**10.50**	**9.50**
4.	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	38	35	40	35	35	30	**38**	**35**
5.	आउट स्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	11	10	10.50	9.50	11.50	11	**10.50**	**9.50**
6.	रात्रि प्रभार	180	140	200	150	200	180	**180**	**140**
7.	मासिक आधार पर2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	30,000	27,000	29,000	28,000	32,000	30,000	**29,000**	**27,000**
7.1	अतिरिक्त कि.मी.	11	10	10.50	9.50	11.50	11	**10.50**	**9.50**
7.2	अतिरिक्त घंटे	38	35	40	35	35	30	**38**	**35**

(1) खंड सं. 9.3 एवं 9.3.1 के अनुसार मूल्यांकन के पश्चात् यह पाया गया कि फर्म क, एल-1 फर्म तथा फर्म ख, एल-2 फर्म है।

(2) एल-1 एवं एल-2 दोनों फर्म अर्थात् फर्म क, फर्म ख, जिसका ऊपर मूल्यांकन किया गया है, प्राप्त एल-1 दरों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम एल-1 की दर पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।

<u>अनुबंध-I-क</u>

(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :..

टैक्सी :- हैचबैकजैसे कि वैगन आर / स्विफ्ट / आई 10 या समकक्ष।

तालिका -1

क्रम सं.	**विवरण**	**दर**
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
1		**एसी**
1.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
1.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
1.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
1.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
1.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
1.06	रात्रि प्रभार	
1.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
1.071	अतिरिक्त कि.मी.	
1.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। यथालागू जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय

तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I ख

(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :...

टैक्सी :- हैचबैकजैसे वैगन आर / स्विफ्ट / आई 10 या समकक्ष।

तालिका -2

क्रम सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
2		नॉन-एसी
2.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
2.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
2.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
2.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
2.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
2.06	रात्रि प्रभार	
2.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
2.071	अतिरिक्त कि.मी.	
2.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। यथालागू जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I-ग

(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :...

टैक्सी :- कॉम्पैक्ट सिडान [अर्थात् आकार में 4मी. से कम] जैसे कि स्विफ्ट डिजायर / हुंडैई एक्सेंट / होन्डा अमेज या समकक्ष।

तालिका -3

क्र.सं.	विवरण	दर दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
3		एसी
3.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
3.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
3.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
3.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
3.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
3.06	रात्रि प्रभार	
3.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
3.071	अतिरिक्त कि.मी.	
3.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। यथालागू जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-। घ

(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :...

टैक्सी :- कॉम्पेक्ट सिडान [आकार में 4मी. से कम] जैसे कि स्विफ्ट डिजायर / हुंडैई एक्सेंट / होन्डा अमेज या समकक्ष।

तालिका-4

क्र.सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
4		नॉन-एसी
4.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
4.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
4.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
4.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
4.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
4.06	रात्रि प्रभार	
4.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
4.071	अतिरिक्त कि.मी.	
4.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। यथालागू जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-। ङ

(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :..

टैक्सी:- सिडान जैसे कि सियाज़/होन्डा सिटी/ हुंडैई वर्ना या समकक्ष

तालिका-5

क्र.सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
5		एसी
5.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
5.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
5.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
5.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
5.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
5.06	रात्रि प्रभार	
5.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
5.071	अतिरिक्त कि.मी.	
5.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। यथालागू जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराहन 11:00 से पूर्वाहन 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

<u>अनुबंध-I-च</u>

<u>(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)</u>

<u>एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप</u>

फर्म का नाम : ....

<u>टैक्सी:- सिडान जैसे कि सियाज़/होन्डा सिटी/ हुंडैई, वर्ना या समकक्ष</u>

<u>तालिका -6</u>

क्र.सं.	विवरण	दर दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
6		नॉन-एसी
6.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
6.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
6.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
6.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
6.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
6.06	रात्रि प्रभार	
6.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
6.071	अतिरिक्त कि.मी.	
6.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। यथालागू जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I-छ

(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम :..

टैक्सी :- एमपीवी/कॉम्पेक्ट एसयूवी जैसे कि एरटिगा/स्कॉरपियो/डस्टर या समकक्ष

तालिका -7

क्र.सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
7		एसी
7.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
7.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
7.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
7.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
7.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
7.06	रात्रि प्रभार	
7.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
7.071	अतिरिक्त कि.मी.	
7.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। यथालागू जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I ज

(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन को प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप (दैनिक अपेक्षाएं)

फर्म का नाम : ....

टैक्सी:- एमपीवी/कॉम्पेक्ट एसयूवी जैसे कि एरटिगा/स्कॉरपियो/डस्टर या समकक्ष

तालिका-8

क्र.सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
8		नॉन-एसी
8.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
8.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
8.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
8.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
8.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
8.06	रात्रि प्रभार	
8.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
8.071	अतिरिक्त कि.मी.	
8.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। यथालागू जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I-झ

(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशनप्रस्तुत करने हेतु प्रारूप (दैनिक अपेक्षाएं)

फर्म का नाम : ....

टैक्सी:- इनोवा / इनोवा क्रिस्टा **या समकक्ष**

तालिका -9

क्र.सं.	विवरण	दर दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
9		एसी
9.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
9.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
9.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
9.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
9.05	बाहरी यात्रा प्रति कि.मी.	
9.06	रात्रि प्रभार	
9.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
9.071	अतिरिक्त कि.मी.	
9.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। यथालागू जीएसटी का भुगतान अलग से किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-। ञ

(दैनिक/बल्क/वरिष्ठ अधिकारियों हेतुआवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम : ....

टैक्सी:- इनोवा / इनोवा क्रिस्टा **या समकक्ष**

तालिका-10

क्र.सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
10		नॉन-एसी
10.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
10.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
10.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
10.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
10.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
10.06	रात्रि प्रभार	
10.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
10.071	अतिरिक्त कि.मी.	
10.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। जीएसटी लागू होने पर अलग से भुगतान किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

<u>अनुबंध-I ट</u>

<u>(अन्य वाहनों की आवश्यकता)</u>

<u>एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप</u>

फर्म का नाम : ....

<u>टैक्सी:- अन्य वाहन जैसे कि टोयोटा अल्टिस/ होन्डा सिविक या समकक्ष</u>

<u>तालिका-11</u>

क्र.सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
11		एसी
11.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
11.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
11.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
11.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
11.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
11.06	रात्रि प्रभार	
11.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
11.071	अतिरिक्त कि.मी.	
11.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। जीएसटी लागू होने पर अलग से भुगतान किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराहन 11:00 से पूर्वाहन 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-। ठ

(अन्य वाहनों की आवश्यकता)

एसी / नॉन-एसी डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम : ....

टैक्सी:- अन्य वाहन जैसे कि टोयोटा अल्टिस/ होन्डा सिविक या समकक्ष

तालिका-12

क्र.सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
12		नॉन-एसी
12.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
12.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
12.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
12.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
12.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
12.06	रात्रि प्रभार	
12.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
12.071	अतिरिक्त कि.मी.	
12.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। जीएसटी लागू होने पर अलग से भुगतान किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-I-ड

एसी / नॉन-एसी मिनी बस की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

फर्म का नाम : ....

मिनी बस का मॉडल..

बैठने की क्षमता :- 15-20

तालिका-13

क्र.सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
13		एसी
13.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
13.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
13.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
13.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
13.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
13.06	रात्रि प्रभार	
13.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
13.071	अतिरिक्त कि.मी.	
13.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। जीएसटी लागू होने पर अलग से भुगतान किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को “पूरे दिन” के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराह्न 11:00 से पूर्वाह्न 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

<u>अनुबंध-I ढ</u>

<u>एसी / नॉन-एसी मिनी बस की आपूर्ति के लिए वित्तीय कोटेशन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप</u>

फर्म का नाम : ....

<u>मिनी बस का मॉडल</u> ....

<u>बैठने की क्षमता</u> :- 15-20

<u>तालिका-14</u>

क्र.सं.	विवरण	दर
		दिल्ली राज्य /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
14		नॉन-एसी
14.01	पूरा दिन 80 कि.मी. एवं 10 घंटे	
14.02	आधा दिन 40 कि.मी. एवं 5 घंटे	
14.03	अतिरिक्त दर प्रति कि.मी.	
14.04	अतिरिक्त दर प्रति घंटे	
14.05	आउटस्टेशन यात्रा प्रति कि.मी.	
14.06	रात्रि प्रभार	
14.07	मासिक आधार पर 2400 कि.मी.एवं 240 घंटे	
14.071	अतिरिक्त कि.मी.	
14.072	अतिरिक्त घंटे	

टिप्पणी : (1) उद्धृत मूल्य करों को छोड़कर होना चाहिए। जीएसटी लागू होने पर अलग से भुगतान किया जाएगा।

(2) टोल टैक्स/ पार्किंग शुल्क, आदि को दरों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए चूंकि इनका भुगतान वास्तविक आधार पर बिल / रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से किया जाएगा।

(3) डी.एल.वाई. टैक्सियां किराए पर लेने के मामले में, 40कि.मी. अथवा 5 घंटों को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोककर रखा जाता है, तोइसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसीस्थिति में कि.मी. का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रयोक्ता 5 घंटे के भीतर 40 कि.मी. से अधिक की यात्रा करते हैं तब शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और यह माना जाएगा कि वाहन को "आधे दिन" के लिए उपयोग किया गया। यदि घंटों की संख्या पांच घंटों से अधिक है तो किराए पर लिए गए वाहन को "पूरे दिन" के लिए माना जाएगा। तब कि.मी. के उपयोग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

(4) रात्रि शुल्क अपराहन 11:00 से पूर्वाहन 5:00 के मध्य लागू होगा।

(5) एसी / नॉन-एसी टैक्सियों के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जानी चाहिए।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि नि.आ.सू. की सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

अनुबंध-II

जांच सूची

फर्म /बोलीदाताकानामएवंपता
[प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ताके
दूरभाष / मोबाइलसं. सहित]:-

1	क्याधरोहरराशिजमा कीगई है	हां / नहीं
2	क्यावर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 केदौरानबोलीदाताकावार्षिककारोबार 100 लाखप्रतिवर्ष से कम नहीं है	हां / नहीं
3	यदिहांतोक्याचार्टरितलेखाकारद्वाराप्रमाणितविगततीन वर्षोंअर्थात 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 कावार्षिकलेखासंलग्नकियागया है	हां / नहीं
4	क्यावर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 कीआयकरविवरणी संलग्नकियागया है	हां / नहीं
5	क्या मिनी बस का विवरण संलग्नकियागया है	हां / नहीं
6	क्यानिविदादस्तावेज़कीशर्तसं.4.9केअंतर्गतनिर्धारितआवश्यकताओं केअनुसारएसी/नॉन-एसी पंजीकरण सं., निर्माण वर्ष मॉडलकाविवरणदेतेहुएबोलीदाताकेस्वामित्व वालीडी.एल.वाई.टैक्सियोंकीसंख्याकोदर्शातेहुएसूचीसंलग्नकीगई है।	हां / नहीं
7	क्या बोलीदाता ने वाहन की सूची के अनुसार वैध आरसी की प्रतिलिपि प्रस्तुत की है	हां / नहीं
8	क्या तात्कालिक विगत वर्षों में बोलीदाता के पास सरकारी / अर्द्ध-सरकारी / स्वायत्तशासी संगठनों / विभागों में प्रचालन का 4 वर्ष का अनुभव है	हां / नहीं
9	क्याबोलीदाताकेपासबोली प्रस्तुत करनेकीतारीखमें**<u>दो</u>**चालू / जारीसंविदाहै	हां / नहीं
10	यदिहांतोक्याविवरणीप्रस्तुतकीगई है	हां / नहीं
11	क्यापैनकार्डएवंसेवाकरपंजीकरणप्रमाणपत्रकीप्रतिसंलग्न है	हां / नहीं
12	क्या निविदा दस्तावेज़ केअनुबंध-।।।मेंदिएगएप्रमाणपत्रपरहस्ताक्षरकरकेप्रस्तुतकिया गया है	हां / नहीं
13	क्या बोलीदाता ने अपनी वित्तीय बोली में सभी श्रेणी के वाहनों	हां / नहीं

	अर्थात अनुबंध-1-क से अनुबंध-1-ढ़ की सभी 14 मूल्य अनुसूची की सभी मदों के लिए दरें उद्धृत की हैं।	

(प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ता)

फर्म/बोलीदाताकानामएवंपता

<u>परिवचन</u>

सेवा में

श्री अनिल कुमार,
अवर सचिव (सामान्य),
संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली -69.

संदर्भ : आपका दिनांक........ का निविदा संबंधी पूछताछ दस्तावेज़ संख्या......।

हम अधोहस्ताक्षरी यह वचन देते हैं कि यद्यपि हमारे पास अपनी कोई मिनी बस नहीं है, हम एतदद्वारा परिवचन देते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकताओं और मिनी बस के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार खुले बाजार से मिनी बस किराए पर लेकर आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम तथा पता

अनुबंध-III

सं.लो.से.आ. को डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

प्रमाणपत्र

हमने, (फर्म का नाम एवं पता) ____
____
आपके दिनांक_______________ के निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तरमें संघ लोक सेवा आयोग में डी.एल.वाई. टैक्सियों की आपूर्ति हेतु तकनीकी एवं वित्तीय बोली, आपके विचारार्थ प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गतहम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं:-

1. कि प्रदान किए जाने वाले एसी / नॉन-एसी वाहन विद्यमान यूरो / भारत स्टेज मानक या समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा लागू किसी अन्य मानक का अनुपालन करेंगे।

2. कि अधियाचना पर ड्यूटी पर लगाए गए वाहन चालक के पास दिल्ली की सड़कों का पूरा अनुभव होगा।

3. कि हमें निविदा की सभी निबंधन एवं शर्तें स्वीकार्य हैं।

4. कि मुझे/हम लोगों को तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित या दोषी करार नहीं किया गया है।

5. कि हमने निविदा आमंत्रण सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य के क्षेत्र को पूरी तरह समझ लिया है और हमारी बोली पूर्ण रूप से कार्य क्षेत्र के अनुरूप है।

6. कि फर्म को न तो किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है और न ही भारत में किसी भी स्थान पर फर्म / इसके स्वामी / साझेदार के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत/ लंबित है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

फर्म / बोलीदाता का नाम तथा पता

अनुबंध-IV

ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की सॉफ्ट प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेश का तात्पर्य सीपीपी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सीपीपीपी पोर्टल पर ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in/e-procure/appसे प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण:

1. बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यूआरएल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) (सीपीपी पोर्टल) पर “ऑन-लाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट” के लिंक पर क्लिक करके जो नि:शुल्क है, पर इनरॉल करना अपेक्षित है।
2. इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा।
3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपने वैध ई-मेलआईडी तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें। इसे सीपीपी पोर्टल से किसी भी प्रकार केसंपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।
4. इनरॉलमेंट पर बोलीदाताओं को अपने -अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात सीफी / टीसीएस / एन कोड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा।

5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत करना चाहिए। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डीएससी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है।
6. बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से अपना यूजर आई डी / पासवर्ड और डी एस सी / ई- टोकन के पासवर्ड को प्रविष्ट कर साइट पर लॉग-इन करें।

<u>निविदा दस्तावेज़ की सर्च:</u>

1) सीपीपी पोर्टल पर विभिन्न सर्च विकल्प मौजूद है, जो विभिन्न पैरामीटर द्वारा सक्रिय निविदा की सर्च हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है। इन पैरामीटरों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते हैं। निविदा कीएडवांस सर्च हेतु एक और विकल्प मौजूद है जिसमें सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की सर्च के लिए बोलीदाता कई सर्च पैरामीटरों जैसे संगठन का नाम, संविदा प्रपत्र, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि शामिल कर सकते है।

2) बोलीदाता, अपनी रूचिकी निविदा का चयन करने के बाद अपेक्षित दस्तावेज़ / निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं। यह सीपीपी पोर्टल, बोलीदाताओं को एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी देने में समर्थ होगा।

3) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को दिए गए यूनिक निविदा आईडी का एक नोट बना लेना चाहिए, यदि बोलीदाता हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते हैं।

<u>बोली को तैयार करना:</u>

1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ के संबंध में प्रकाशित किसी की शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

2) कृपया बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज़ों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें। कृपया लिफाफे की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक दस्तावेजों के नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें। इनसे उत्पन्न किसी प्रकार के विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

3) बोलीदाता को अग्रिम में निविदा दस्तावेज़ / अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सामान्यत: ये दस्तावेज़ पीडीएफ / एक्सएलएस / आरएआर / डीडब्ल्यूएफ / जेपीजी फार्मेट में होने चाहिए। बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को कम करने में मदद करता है।

4) उसी प्रकार के अपेक्षित मानक दस्तावेज़ों का अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं को मुहैया कराया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए उपलब्ध"माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते है। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को कम करेगा।

<u>बोली को प्रस्तुत करना :</u>

1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही साईट पर लॉगइन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकते हैं। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।

2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों को डिजीटल हस्ताक्षर करके एक-एक कर अपलोड करना हैं।

3) बोलीदाता को यथा लागू निविदा शुल्क / धरोहर जमा राशि का भुगतान करने के लिए “ऑफ लाईन” भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और दस्तावेजों के विवरण को प्रविष्ट करना होगा।

4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार धरोहर जमा राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथा निर्दिष्ट तारीख तक भेजी जानी चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा बोली प्रस्तुत करने के समय प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5) बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोली को जमा किया जाए तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली मूल्य, निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बीओक्यू फार्मेंट में दिया गया है, तो उक्त को डाउनलोड किया जाए और उसे सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है इसे खोलें और अपने संबंधित वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो

जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑन-लाइन प्रस्तुत कर दें। यदि बीओक्यू फाइल को बोलीदाता द्वारा आशोधित किए जाते हुए पाया जाते है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

6) सर्वर टाइम (जिसे बोलीदाता के डेशबोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि को संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन प्रविधि पी.के.आई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली को खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है। कोई बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर पर अपलोड किया गया है जो क्रर्मिक कुंजी जनित प्रणाली का उपयोग करते हुए क्रमिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन है। इसके अतिरिक्त यह कुंजी ऐसे मैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाले सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है। समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ बोली खोलने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदाके खोलने के बाद ही पठनीय होगा।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारी द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होगा।

9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में “फ्रिज बिड सबमिशन” को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित

बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली सारांश(समरी) प्रदर्शित हो जाएगी।

10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली के प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली खुलने से संबंधित किसी भी बैठक के लिए प्रवेश पत्र(एन्ट्री पास) के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

<u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

1) निविदा दस्तावेज़ तथा उनमें समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए।

2) ऑन-लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित पूछताछ को 24X7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते हैं। हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं.1800-3070-2232 है। बोलीदाता मोबाइल सं. +91-7878007972 एवं +91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं।

******